



प्रधान आयुक्त कार्यालय, माल एवं सेवा कर (दिल्ली-दक्षिण)  
OFFICE OF PRINCIPAL COMMISSIONER, GOODS & SERVICE TAX (DELHI-SOUTH)  
तीसरा तल, ई. आई. एल. एनेक्सी बिल्डिंग, प्लॉट सं. 2B, भिकाजी कामा पैलेस, न्यू दिल्ली-110066  
3<sup>RD</sup>, FLOOR, EIL ANNEXE BUILDING, PLOT NO. 2B, BHIKAJI KAMA PALACE,  
NEW DELHI-110066.

C.No. IV(16)HQ/Tech/TN/06/CGST/2017/14305

Date: 27/08/2018.

व्यापार सूचना 04/जी.एस.टी/2018-19

TRADE NOTICE 04/GST/2018-19

**Subject :- Special Procedure for registration under Notification No. 31/2018-Central Tax dated 06.08.2018-regarding.**

अप्रत्यक्ष करों और सीमा शुल्क केंद्रीय बोर्ड, नई दिल्ली (CBIC) द्वारा जारी अधिसूचना सं 31/2018-Central Tax दिनांक 06.08.2018 की ओर व्यापार का ध्यान आमंत्रित किया जाता है। उक्त अधिसूचना सीबीआईसी वेबसाइट ([www.cbic.gov.in](http://www.cbic.gov.in)) पर उपलब्ध है जिसे विस्तृत जानकारी के लिए संदर्भित किया जा सकता है। ऐसे करदाताओं के पंजीकरण के लिए अधिसूचना में एक विशेष प्रक्रिया तैयार की गई है, जिन्होंने पूर्ण FORM GST REG-26 दर्ज नहीं किया है, लेकिन 31.12.2017 तक केवल एक अनंतिम पहचान संख्या (पीआईडी) प्राप्त की है। ऐसे करदाताओं को 31.08.2018 को या उससे पहले केंद्र सरकार या राज्य सरकार के क्षेत्राधिकारिक नोडल अधिकारी को, दी गई अधिसूचना के पैरा 2 (i) में वर्णित तालिका में उल्लिखित विवरण, प्रस्तुत करना चाहिए।

Attention of the Trade is invited to Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC), New Delhi's Notification No. 31/2018-Central Tax dated 06.08.2018 issued vide F.No. 349/58/2017-GST(Pt.). The said Notification is available on CBIC website i.e. [www.cbic.gov.in](http://www.cbic.gov.in) which may be referred for further details. A special procedure is devised in the said Notification for registration of such taxpayers who did not file the complete FORM GST REG-26, but received only a Provisional Identification Number (PID) till 31.12.2017. The tax payers should furnish details as mentioned in the Table referred in para 2(i) of the said Notification to the Jurisdictional Nodal Officer of the Central Government or State Government on or before 31.08.2018.

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 (i) के संदर्भ में, केन्द्रीय जीएसटी, दिल्ली दक्षिण आयुक्तालय के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनके यहाँ करदाता अपना पंजीकरण / प्रवासन संबंधी शिकायत दर्ज कर सकता है। नोडल अधिकारी का संपर्क विवरण निम्नानुसार है।

In terms of Para 2(i) of the said Notification, a Nodal Officer has been appointed for Central GST, Delhi South Commissionerate to whom the assessee can lodge their registration/Migration grievance. The contact details of the Nodal Officer is as under:


Sr. No. (क्रम सं)	Name of Officer (अधिकारी का नाम)	Designation (पद)	Contact No.(संपर्क नंबर)	E-mail Address (ई-मेल पता)
1	Sh. Kuldeep Jakhar	Assistant Commissioner (सहायक आयुक्त)	9818500439	gstdsouthvk@gmail.com

सभी ट्रेड एसोसिएशन और वाणिज्य और उद्योग के चैंबर, माल और सेवा करदाताओं से अनुरोध है कि वे अपने सभी सदस्यों / घटकों संबंधित व्यक्तियों को यह जानकारी और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संज्ञान में लाएं।

All the Trade Associations and Chambers of Commerce and Industries, Goods and Services Tax assesses are requested to bring the same to the notice of all their members/constituents persons concerned for their information and further necessary action.

सभी व्यापारियों / कंपनियों / उद्योगों की एसोसिएशन एसो तथा संबंधित व्यक्तियों को एक मेल प्रति भेजी जा रही है।

A mail copy is being sent to all Trades/COM/Industries associations and persons concerned.



(प्राणेश पाठक)


(PRANESH PATHAK)

आयुक्त, जीएसटी दिल्ली-दक्षिण

COMMISSIONER, GST DELHI-SOUTH

प्रति:

1. मुख्य आयुक्त केन्द्रीय माल और सेवा कर, दिल्ली क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर, दिल्ली (पूर्व/पश्चिम/उत्तर)।
3. सहायक आयुक्त, माल और सेवा कर, मंडल छतरपुर, कनॉट प्लेस, द्वारका, हौज़ खास, मालवीय नगर, नारायणा, ओखला, पालम, वसंत कुंज।
4. सहायक आयुक्त, (कार्मिक एवं सतर्कता/कर-अपवंचन/अधिनिर्णयन/विधि/सिस्टम/पुनविचार), दिल्ली दक्षिण।
5. नोटिस बोर्ड/ गार्ड फ़ाइल।

  
सहायक आयुक्त  
तकनीकी